राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड

85वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2023

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 85वीं बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त, उतराखण्ड षासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, वित्त, अपर सचिव, वित्त, अपर सचिव, पर्यटन, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, एम.एस.एम.ई., उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एषोसियेषन, उत्तराखण्ड, नोडल अधिकारी, एन.पी.सी.आई एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

(क) स्वामित्व कार्ड :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ पंचायतीराज विभाग, वित्तीय सेवायें विभाग से उक्त विषयक वार्ता कर, वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा समस्त बैंकों के कार्पोरेट कार्यालय को उक्त विषयक दिषानिर्देष जारी करने की अपेक्षा है।

➢ दिनांक 21.08.2023 को स्वामित्व कार्ड विषयक चर्चा हेतु लखनऊ में पंचायत राज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समस्त संयोजक, एस.एल.बी.सी. के साथ round table conference का आयोजन किया जाना है।

(कार्यवाही : पंचायतीराज विभाग)

(ख) ऋण–जमा अनुपात :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि वे outside advance के data एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ राज्य का ऋण–जमा अनुपात बढाने हेतु बैंकों को AIF, PMFME, FPO योजना अंतर्गत big ticket size के ऋण प्रदान किये जाने चाहिए।

- सचिव, वित्त, द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ किस जिले में कौन सी योजना अधिक प्रभावित है, यह ज्ञात कर उस जिले में उस योजना को अधिक क्रियान्वित किया जाय।

➢ सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं का क्षेत्रवार विष्लेषण किया जाय।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

➢ अग्रणी जिला प्रबन्धक, डी.एल.आर.सी. की बैठक में बैंकों को कृषि क्षेत्र अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु विभिन्न गतिविधियों से अवगत करायें।

➢ अग्रणी जिला प्रबन्धक डी.सी.सी. की बैठक में ऋण–जमा अनुपात बढाये जाने विषयक चर्चा करें तथा sector wise data एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

(ग) ऋण आवेदन पत्रो का निरस्तीकरण/वापसी :

- संयोजक, एस.एल.बी.सी. एवं महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों का निरस्तीकरण/वापसी बैंक के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा की जाय तथा उचित एवं स्पष्ट कारणों का पोर्टल में उल्लेख किया जाय।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

(घ) बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित गांव :

- आई.पी.पी.बी. के प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बैंकिंग सुविधा से अनाच्छादित 44 गांवों में से 21 गांवों में सब पोस्ट ऑफिस कार्यरत हैं। यदि उक्त गांवों में बुनियादी सुविधायें यथा : विद्युत, टेलीकॉम कनेक्टिविटी एवं रोड सुविधा प्रदान की जाती है तो इन गांवों में, 5 कि.मी. परिधि में आई.पी.पी.बी. द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है।

- राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ भारतीय रिजर्व बैंक के दिषानिर्देषानुसार, जिन गांवों में एन.पी.ए. 5 प्रतिषत से अधिक हैं, वहां पर सहकारी बैंक को षाखा खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करनी होती है।

(कार्यवाही : आई.पी.पी.बी. एवं सहकारी बैंक)

2. पी.एम. स्वनिधि योजना :

- सहायक निदेषक, षहरी विकास निदेषालय द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु 1st Tranche अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 24500 है। आतिथि तक तीनों Tranche के अंतर्गत कुल 22756 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत एवं 22145 वितरित किये गये हैं।

➢ ULB स्तर पर विभाग एवं बैंक समन्वय कर योजना अंतर्गत प्रगति दर्ज कर रहे हैं।

➢ 1st Tranche & 2nd Tranche में ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण/वापसी की संख्या अधिक है।

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय सेवायें विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय राज्य वित्त मंत्री डा. भागवत कराड़ दिनांक 18.08.2023 को वाराणसी में उत्तर प्रदेष, उत्तराखण्ड एवं दिल्ली राज्यों द्वारा उक्त योजना अंतर्गत दर्ज की गयी प्रगति की समीक्षा हेतु zonal review meeting करेंगे।

➢ विभाग से आग्रह है कि वे निरस्त/वापस किये गये ऋण आवेदन पत्रों को 1st choice बैंक षाखा पर Re-generate करें।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

➢ षहरी विकास विभाग, निरस्त/वापस किये गये ऋण आवेदन पत्रों को Re-generate करें।

(कार्यवाही : षहरी विकास विभाग)

3. वार्षिक ऋण योजना 2023–24 :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 में फार्म सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 12551.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 10353.00 करोड़ (82%) तथा एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 11994.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 15911.00 करोड़ (133%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक ऋण योजना **रु. 28660.37** करोड़ में **रु. 5272.88 करोड़ (18.40%)** की बृद्वि कर, वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वार्षिक ऋण योजना **रु. 33933.25 करोड़** की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत रु. 16500.00 करोड़ के प्रस्तावित लक्ष्य को रु. 1000.00 करोड़ बढ़ाकर रु. 17500.00 करोड़ करने हेतु सदन द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी है।

- उक्त विषयक चर्चा उपरांत सदन द्वारा सर्व सम्मति से **वार्षिक ऋण योजना 2023–24 रु. 34933.25 करोड़** का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/एस.एल.बी.सी.)

4. <u>नाबार्ड</u> :

- Unit Cost Book for the Financial Year 2023-24 was released by Shri Anand Vardhan, Additional Chief Secretary, Finance, Uttarakhand Govt.
- Chief General Manager, NABARD advise as under :

➢ Unit Cost Book has been prepared in consultation with line departments and other stakeholders. It would work as a reference document for bankers in deciding quantum of finance to farmers for agriculture term loan.

➢ Recognising importance of financial inclusion as a key driver of economic growth and poverty alleviation world over, NABARD supports number of activities such as VSATs in no-connectivity areas, POS/ mPOS machines, Demo Mobile Vans, conduct of various Financial Digital Awareness Camp (FiDgi), Centre for Financial Literacy (CFL) etc. for penetration of formal financial services in unbanked areas. Banks may use this facility to expand outreach in the rural area of the State.

➢ CD ratio in the state is lower than all India target of 60% and without RIDF lending, C.D ratio, is around 49%, which is substantial lower than target. As on 31 March 2023, 7 districts had CD ratio lower than 40 percent. Rudraprayag, Bageshwar and Tehri Garhwal districts have been classified as credit starved districts in the State. All these points indicate that we have to improve lending pace in the State. Meetings of sub committees may be held regularly as per LBS guidelines at district & state level. The central schemes such as AIF, CSS- FPO, ACABC, PMFME, NLM, PMEGP, e-NWR, etc. & state schemes such VCSG Paryatan Swarojgar Yojna, Deendayal Upadyay Sahkarita Kisan Kalyan Yojna, MSY, MSY (ultra nano), etc. may be leveraged & converged for improving CD ratio in the State.

➢ Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has requested all states / UTs to adopt UPI-based Cashless Transactions in all Panchayati Raj Institutions (PRIs) to enhance ease of living for citizens and urged them to declare all PRIs to be UPI compliant on 15th August 2023. UPI based solution can be beneficial in activating PMJDY accounts and RuPay cards for rural citizens thereby furthering financial inclusion. Deptt of Panchayati Raj, GoUK and SLBC may issue necessary instructions to the district level functionaries concerned to facilitate the proposed plan of action.

➢ It has been observed that flow of applications in AIF is not adequate. Disbursement/ follow up seems unreasonably low for AIF application. Banks & Line Depts. are advised to create awareness on the benefits provided under the scheme to farmers, start-ups, entrepreneurs, FPOs, Cooperatives, etc. and strive towards maximum disbursement under AIF. FPOs promoted by different agencies may be pursued/ contact for proposal under AIF.

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

5. <u>सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनायें</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु विभिन्न ऋण येाजनाओं हेतु विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य अग्रणी जिला प्रबन्धकों के माध्यम से समस्त बैंकों को प्रेषित कर दिये गये हैं।

➢ वित्तीय वर्ष 2022–23 में एम.एस.एम.ई. सेक्टर में बैंकों द्वारा षत प्रतिषत लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

➢ बैंक, माह दिसम्बर, 2023 तक निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिषत लक्ष्य प्राप्त करें।

➢ विभाग से आग्रह है कि वे निर्धारित लक्ष्य का 150 प्रतिषत ऋण आवेदन पत्र बैंक षाखाओं को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/सम्बन्धित विभाग)

6. National Livelihood Mission (NLM) योजना :

- निदेषक, पशुपालन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि National Livelihood Mission (NLM) योजना अंतर्गत विभिन्न बैंक षाखाओं में ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :

➢ पशुपालन विभाग, सिडबी से समन्वय कर पोर्टल एवं बैंकों के पासवर्ड विषयक बैठक, मुख्य बैंकों के साथ आयोजित करें।

(कार्यवाही : पशुपालन विभाग)

6. एन.पी.ए. :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं यथा : एन.यू.एल.एम., कृषि एवं पी.एम.ई.जी.पी., योजनाओं में एन.पी.ए. का प्रतिषत अधिक है।

➢ षासन से आग्रह है कि जिला अधिकारियों को आर.सी. वसूली में बैंकों के सहयोग हेतु पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

- उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को निमनवत अवगत कराया गया :

➢ SARFAESI Act के अंतर्गत आवष्यक कार्यवाही करने हेतु जिला अधिकारियों से आवष्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने में बिलम्ब किया जाता है, जिससे बैंक की वसूली प्रभावित होती है।

➢ अतः अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि समय से पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)

7. जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ जन सुरक्षा योजनाओं हेतु संतृप्तता अभियान, जो कि दिनांक 01.04.2023 से 30.06.2023 तक चलाया जा रहा था, को अब दिनांक 31.07.2023 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 14.07.2023 तक कुल ग्राम पंचायत 7791 में से 6711 ग्राम पंचायत को कवर किया गया है, जो कि कुल ग्राम पंचायत का 86 प्रतिषत है।

➢ बैंकों से आग्रह है कि वे अग्रणी जिला प्रबन्धकों का सहयोग प्राप्त कर संतृप्तता अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

8. वित्तीय साक्षरता हेतु केन्द्र (CFL) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज में राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लाकों में प्रायोजक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा) के सहयोग से CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा वित्तीय साक्षरता केन्द्र (CFLs) की स्थापना की गयी हैं। फेज–I एवं फेज–II में 16–16 वित्तीय साक्षरता केन्द्र खोले गये हैं, जिसमे 32 ब्लाक को जोड़ा गया है, जो कि 95 ब्लाक को कवर कर रहे है।

➢ OPEX एवं CAPEX की आपूर्ति, फेज –1 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तथा फेज – 2 में नाबार्ड द्वारा की जाती है।

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ CRISIL Foundation (implementing NGO) द्वारा वित्तीय साक्षरता हेतु किये गये व्ययों के बिलों को समय पर प्रस्तुत नही किया जाता है।

9. **Fintech Absorption :**

- एन.पी.सी.आई के नोडल अधिकारी द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
  - वित्तीय वर्ष 2022–23 में AePS, UPI, IMPS, RUPAY CARD अंतर्गत दर्ज प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।
  - समस्त बैंकों से आग्रह है कि वे डिजीटल को बढ़ावा देने हेतु कार्य करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

10. (क) **मै. रुद्रा ऑटो टैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. पंतनगर :**

- श्री पी. डी. भट्ट, उपाध्यक्ष (Recovery & DRT Matters), नैनीताल बैंक लि. द्वारा मै. रुद्रा ऑटो टैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. पंतनगर के प्रकरण विषयक सदन को अवगत कराया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि वर्तमान में बैंक द्वारा लोक धन की वसूली हेतु कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal), इलाहाबाद में वसूली वाद दायर किया गया है और यह मामला न्यायाधिकरण के विचारधीन है।
- मै. रुद्रा ऑटो टैक इंजीनियरिंग प्रा. लि. पंतनगर के प्रतिनिधि द्वारा सदन को प्रकरण विषयक अवगत कराया गया।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सदन द्वारा उक्त प्रकरण में कोई निर्णय नही लिया जा सकता है, क्यों कि यह केस DRT राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal) इलाहाबाद में विचाराधीन है।

(कार्यवाही : नैनीताल बैंक एवं उद्योग विभाग)

(ख) **मै. नैनी ऑटो टैक रुद्रपुर, यू.एस. नगर :**

- श्री पी. डी. भट्ट, उपाध्यक्ष (Recovery & DRT Matters), नैनीताल बैंक लि. द्वारा मै. नैनी ऑटो टैक रुद्रपुर, यू.एस. नगर के प्रकरण विषयक सदन को अवगत कराया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि वर्तमान में बैंक द्वारा लोक धन की वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal), देहरादून में वसूली वाद दायर किया गया है और यह मामला न्यायाधिकरण के विचारधीन है।
- मै. नैनी ऑटो टैक रुद्रपुर, यू.एस. नगर के प्रतिनिधि द्वारा सदन को प्रकरण विषयक अवगत कराया गया।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सदन द्वारा उक्त प्रकरण में कोई निर्णय नही लिया जा सकता है, क्यों कि यह केस ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal), देहरादून में विचाराधीन है।

(कार्यवाही : नैनीताल बैंक एवं उद्योग विभाग)

(ग) **मै. गुरुकृपा इंटरप्राईजेज, ब्रहमपुरी, रुड़की :**

उप मण्डल प्रमुख, पंजाब नेषनल बैंक द्वारा मै. गुरुकृपा इंटरप्राईजेज, ब्रहमपुरी, रुड़की के प्रकरण विषयक, सदन को अवगत कराया गया । साथ ही अवगत कराया गया कि आतिथि तक मै. गुरुकृपा इंटरप्राईजेज, ब्रहमपुरी, रुड़की द्वारा One Time Settlement (OTS) प्रस्ताव पंजाब नेषनल बैंक को प्रेषित नही किया गया है।

- श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एषोसियेषन, उत्तराखण्ड द्वारा उक्त प्रकरण विषयक सदन को अवगत कराया गया कि पंजाब नेषनल बैंक द्वारा निर्णय लेने से पूर्व Standing Committee का गठन नही किया गया है, जिसमें उद्योग विभाग का प्रतिनिधि भी सदस्य नामित किया जाता है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा पंजाब नेषनल बैंक को निर्देषित किया गया कि अंतिम निर्णय लेने से पूर्व Standing Committee का गठन कर, उक्त प्रकरण विषयक चर्चा करें तथा बैठक में जिला उद्योग केन्द्र को भी आमंत्रित किया जाय।

(कार्यवाही : पंजाब नेषनल बैंक एवं उद्योग विभाग)

11. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा :

<u>केनरा बैंक प्रकरण</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, केनरा बैंक द्वारा अपनी गुजराड़ा मानसिंह षाखा में घटित उक्त प्रकरण विषयक सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

When the Branch Manager called the said accused for the re payment of overdue amount, he in turn threatened the Branch Manager. The BM was forcely taken to ITI located at Gujrada Man Singh and made to submit his apology for initiating recovery measure.

Considering the seriousness of the matter, Bank has lodged the FIR with Police.

In view of the facts stated above, for necessary Police action be taken to logical conculsion.

- अध्यक्ष महोदय द्वारा केनरा बैंक को निर्देषित किया गया कि उक्त प्रकरण षासन को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : केनरा बैंक)

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)